



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: 23/7/24

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 24/7/24

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: कुड़वा उप प्रदलिया

ग्राम पंचायत का नाम: कुड़वा उप प्रदलिया

ब्लॉक का नाम: पट्टावर्मा

जिला का नाम: मण्डलाकार्पांडी

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : 108 (संख्या) भवेशी कुड़ों को और 1 (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को

जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक यामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का ____ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति):

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: खु-पीला प्रादृष्ट

लिंग:

आयु: पुरुष

35

सदस्य का नाम
खाटिला निशा

लिंग
महिला

आयु
40

श्रीलोका प्रादृष्ट

50

30

दिलीप चौधरी

50

28



III. सामान्य विवरण

उत्तराखण्ड - १०८

6.

2011 की जनगणना के अनुसार:
 जनसंख्या: 1864
 परिवारों की संख्या: 364
 महिलाओं की संख्या: 988
 पुरुषों की संख्या: 872
 बच्चों की संख्या: 221
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: 1974561

वर्तमान पंचायत/ आंगनबाड़ी निकॉड़ि के अनुसार:
 वर्तमान जनसंख्या: 2404
 परिवारों की संख्या: 568
 महिलाओं की संख्या: 1217
 पुरुषों की संख्या: 1209
 बच्चों की संख्या: 355
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: 35480

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण
 - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन निकॉड़ि): 287

9. कृषि फसल पैटर्न: मौसी (माही)

| प्रमुख फसलें | बरीफ | रबी |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| गेहूँ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| मक्का | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| कपास | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| गेहूँ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| अन्य | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

10. औसत जिला वर्षा (मि.भी.मे): 1781.1

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल


IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

| क्र. सं. | सार्वजनिक संस्था का नाम | क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) | क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) | सोडता गड्ढों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं) |
|----------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1. | स्कूल | | | |
| 2. | आंगनबाड़ी | | | |
| 3. | स्वास्थ्य केन्द्र | | | |
| 4. | ग्राम पंचायत भवन | | | |
| 5. | अन्य | | | |





पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 11388 के.एल.डी.
मतेशीयों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 164216 के.एल.डी.

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 210362 के.एल.डी.
मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 245141 के.एल.डी.

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 245141 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सख्त/अकाल/घक्काल/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटने,
पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: **तालाब**

हूका

17. जापातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त **तालाब**

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: **डायरिपा, पट्टद्रोह और**

पानी की गुणवत्ता

20. पीलड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित **24 फिल्टर**
तारीख: **२५/१५/२०**

21. सेनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: **२५/१५/२०**

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत
का नाम (अवस्थिति): **मैंभूप**

| मापदंड | तरीका | परिणाम |
|-----------------------|--------------------|--------|
| गंदगी | इश्य तुलना | 1 |
| पीएच | पट्टी रंग तुलना | 1 |
| पूर्ण ज्वरगता | टिट्रोमेट्रिक विधि | 1 |
| पूर्ण हारीयता | टिट्रोमेट्रिक विधि | 1 |
| बलोराइड | टिट्रोमेट्रिक विधि | 1 |
| अमोनिया | इश्य रंग तुलना | 1 |
| फ्लासफेट | इश्य रंग तुलना | 1 |
| आवर्षिष्ट बलोरीन | इश्य रंग तुलना | 1 |
| आवर्षन | इश्य रंग तुलना | 1 |
| नाइट्रोट | इश्य रंग तुलना | 1 |
| फ्लोरोइड | इश्य रंग तुलना | 1 |
| आसेनिक (हॉटस्पॉट में) | इश्य रंग तुलना | 1 |

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह समाजना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे
अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

| आवश्यकता का नाम | धरों की संख्या | आवादी |
|-----------------|----------------|-------|
| | | |



सौत स्थायित्व

24. भू-जल सौत के मामले में, क्या बोरडेल रिचार्ड संरचना है? (हाँ/नहीं) **नहीं**

25. गांव में उन मौजूदा जल अंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): **145216 मी** के.एल.डी.

अलग-अलग सौख्य गड़दों वाले परिवारों की संख्या: **0**

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सौख्य गड़दों की आवश्यकता है: **6**

आवश्यक सामुदायिक सौख्य गड़दों की संख्या: **0**

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): **नहीं**

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिधारित किया गया है: **हाँ**

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

कृषि बायरी छेद

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस शेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूरी हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलस्थिरण वाटर/स्थानीय या परातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर गिड/होर्डीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. या एकान्त/आदिवासी बरितगांवों में स्थित है

28. अभिनिधारित जल सौत: _____ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: _____

इस योजना के लिए अभिनिधारित भूगमि: _____

वह तारीख, जिस पर यह भूगमि पी.एच.ई.टी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: _____

योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____

समुदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: _____

वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूसरा बसावट हो तो, अभिनिधारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. गेल-जील

(निम्नलिखित तालिका में उन समावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/नियम गेल-जील संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिधारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

| 29. योजना का नाम | केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग | समावित नियमितीयों जो शुरू की जा सकती हैं | प्रस्तावित नियमि |
|--|--|---|------------------|
| चीड़का वित्त आयोग | याम पंचायत | ये-वाटर मैनेजमेंट, फ्लोज सिस्टम आदि। | |
| स्वामुख भारत मिशन - यामीण (एस.टी.एस.वी.) | पेयजल और स्वामुख विभाग, जल विनियोग भवालय | ये-वाटर मैनेजमेंट -सौख्य गड्ढे (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि। | |
| एस.टी.एस.वी.एस. | यामीण विकास भवालय | पानीस्तक संसाधन प्रबंधन (जे.आर.एस.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ | |



| योजना का नाम | केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग | संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं | प्रस्तावित विधि |
|--|--|---|--|
| एकीकृत बाटरेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यू.एम.पी.) | भूग्री संसाधन विभाग | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग | बड़े जल अंडाजी का जीर्णद्वारा |
| जल अंडाजी की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णद्वारा | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग | बाटरेड से संबंधित कार्य | जल की अधिक उपलब्धता विभिन्न प्रकारों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकत्रीकरण से जल की नियन्त्रणी को कम करने के लिए |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वाई.) | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय | वनकरण, वन परिविहारिकी तंत्र का पुनर्जीवन, बाटरेड विकास, आदि। |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय | पर्यावरण, जल और जलवायी परिवर्तन मंत्रालय | आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि |
| संतिपूरक बनीकरण केव प्रबंधन और आयोजना प्राप्तिकरण | पर्यावरण, जल और जलवायी परिवर्तन मंत्रालय | कौशल विकास और उद्योगिता मंत्रालय | स्कूलों में पेचजन आपूर्ति का प्रावधान |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) | कौशल विकास और उद्योगिता मंत्रालय | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विभेदकारी नियिकाएँ के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ |
| सम्भव शिक्षा | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | नीति आयोग | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विभेदकारी नियिकाएँ के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ |
| आकाशी जिला कार्यक्रम | नीति आयोग | सांस्थियकी और कार्यक्रम वर्गीकरण मंत्रालय (एमओएसपीआई) | बड़े फ़िल्मों पर जल संरक्षण गतिविधियाँ |
| जिला स्थानिक विकास नियिका (डी.एम.ए.ए.) | राज्य | सांस्थियकी और कार्यक्रम वर्गीकरण मंत्रालय (एमओएसपीआई) | अंतर्राष्ट्रीय जलसंरक्षणा |
| एम.पी.ए.ए.टी. | राज्य | जलजीवीय नामाली | अंतर्राष्ट्रीय जलसंरक्षणा |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदानाजनकातीय उप योजना (टी.एस.एस.) | जलजीवीय नामाली वा मंत्रालय और राज्य | जलजीवीय नामाली | अंतर्राष्ट्रीय जलसंरक्षणा |
| दानदाता/प्रायोजक | | | |





अधिकारी का दस्तावेज़ शिल्पा शर्मा

विद्यालय का नाम अन्ध्रप्रदेश विद्यालय के उपर्योगी नाम और इकाई

उच्चतम प्राक्षिपिक विद्यालय और छात्रवाच (लोक भूमि)

विद्यके विवरण

यह विद्यका और वह इसकी उपनामिति, उच्चतम वैज्ञानिक सौजन्यी तथा विद्यालय का नाम और लोक नाम।

विद्यके विवरण वा नाम की घोषणा

विद्यके विवरण की घोषणा गुणित विवरण के लिए याद मानिसों के नाम और लोक नाम।

1. शिल्पा शर्मा
2. कमलायी
3. सहानु
4. राविचंद्रा
5. नृदेवा

दस्तावेज़ का नाम वा नाम - 9902460360

